

## विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 488

दिनांक 23/6/17

प्रति,

प्राचार्य,

ज्ञान विहार कॉलेज ऑफ एज्युकेशन

भौंसोदामण्डी, भानपुरा, जिल-मंदसौर

**विषय :** विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

**संदर्भ :-** महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक / 182, दिनांक 08.05.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत नवीन संकाय / नवीन विषय / सीट संख्या वृद्धि की जाने / संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुसंधान को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.06.2017 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि ज्ञान विहार कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, भौंसोदामण्डी, जिला-मंदसौर (नवीन) में सत्र 2017-18, से बी.एससी.बी.एड.-प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुसंधानानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017-18 से बी.एससी.बी.एड.-प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने के शपथ पत्र के आधार पर प्रदान की जाये।


उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के पाठ्यक्रम के निम्न विवरणानुसार सत्र 2017-18 से शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुसंधान की प्राप्ति में विशाल आसक्ति प्रकट की जा रही है :-

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01	बी.एससी.बी.एड.-प्रथम वर्ष	100

- शर्त :-**
01. नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ होना है। पूर्व पाठ्यक्रम डी.एड. सुदृढित है। सुविधाएं अच्छी नहीं हैं।
  02. प्रयोगशाला का उन्नयन किया जाना आवश्यक है।
  03. छात्र-छात्राओं हेतु वाश रूम एवं कामन रूम अलग-अलग स्थापित किये जाएंगे।
  04. साइंस की पुस्तकें क्रय की जाये।
  05. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 28(3)(1) के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम हेतु रु. 25,000/- (अष्टासौ पच्चीस हजार रुपये मात्र) की इण्डोमेंट फण्ड की धनराशि की एफ.डी.आर. कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन एवं प्राचार्य के संयुक्त नाम से बनाकर मूल रसीद विश्वविद्यालय लेखा विभाग में जमा करे। यदि उपरोक्तानुसार एफ.डी.आर. पूर्व में जमा करा दी गई हो तो रसीद प्रस्तुत करें।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति तीन माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार



कुलसचिव

विवरितर 02



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/

दिनांक :-

### --: सूचना :-

शिक्षा सत्र 2017-18 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/पूर्व स्वीकृत संख्या में वृद्धि/सम्बद्धता-निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा परिनियम क्रमांक 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया है :-

- A महाविद्यालय का नाम :- ज्ञानविहार कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, भैसोदामण्डी, तह.-भानपुरा, जिला-मंदसौर
- B आवेदित विषय/पाठ्यक्रम :- (1) बी.एससी.बी.एड.-प्रथम वर्ष
- C समिति के सदस्यों के नाम :-
01. प्रो. नागेश शिन्दे - आचार्य, सततशिक्षा अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
  02. प्रो. एम.एस.परिहार- विभागाध्यक्ष, प्राणिकी अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
  03. प्रो. आर.के.अहिरवार- विभागाध्यक्ष, प्रा.भा.इ.सं.एवं पुरा अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि, वे निरीक्षण प्रतिवेदन में परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर पूर्व एवं वर्तमान का सम्बद्धता शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ प्राधिकृत, संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र भवन, क्रीड़ा परिसर, एवं पाठ्यक्रम आर्डिनेंस तथा पिछले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी विषयों की सम्बद्धता की शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण-पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट अनुशंसाएं अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ/संसाधन के भौतिक सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचनार्थ कि कृपया अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की गई विडीयोग्राफी की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जा सके। विडीयोग्राफी के खर्च का वहन महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक/पत्रा भत्ता तथा समिति द्वारा प्रयुक्त वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा

महाविद्यालय का नाम :- शान विहार कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, श्रीगंगा  
 निरीक्षण तिथि 01-06-2017  
 सम्बद्धता हेतु पाठ्यक्रम/विषय B.Sc. B. Ed.

सम्बद्धता हेतु प्रस्ताव :-

1. प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय की सम्बद्धता।
2. पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/विषय /नवीन पाठ्यक्रम की निरन्तरता/सम्बद्धता हेतु।
3. पूर्व स्वीकृत विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि।
4. स्थाई सम्बद्धता।

महाविद्यालय का निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति ने किया।

निरीक्षण समिति की अनुशंसा निम्नानुसार है :-

परिनियम क्र. 27 एवं 28 के अनुसार महाविद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अध्यापन हेतु उपलब्ध संसाधनों व सुविधाओं के अवलोकन एवं उनकी उपलब्धता के समर्थन में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर समिति अनुशंसा करती है, कि महाविद्यालय को आवेदित उपरोक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2017-18 में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने/सीट वृद्धि करने पर विचार किया जा सकता है।

महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम/विषय में निम्नानुसार अधिकतम विद्यार्थियों की प्रवेश संख्या के साथ अस्थायी सम्बद्धता दी/सीट वृद्धि की जा सकती है :-

पाठ्यक्रम का नाम	अधिकतम सीट संख्या
<u>B.Sc. B. Ed.</u>	<u>5072</u>
<u>100</u>	
/	/
/	/
/	/

निरीक्षण समिति यह अनुशंसा करती है कि महाविद्यालय को निम्नांकित बिन्दुओं की पूर्ति अतिशीघ्र करने की प्रत्याशा में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की/सीटों में वृद्धि की जा सकती है।

01. नवीन पाठ्यक्रम का प्रारम्भ होना है, पूर्व पाठ्यक्रम ~~का~~, D. Ed. Ed.
02. सुविधाएँ उपलब्ध हैं, प्रयोगशाला का
03. उपलब्ध है, प्रयोगशाला का
04. उपलब्ध है, प्रयोगशाला का
05. उपलब्ध है, प्रयोगशाला का

K. D.  
सदस्य 01/6/17

(Signature)  
सदस्य 1/6/17

\_\_\_\_\_ सदस्य

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्  
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)  
परिचय क्षेत्रीय समिति



National Council For Teacher Education  
(A Statutory Body of the Government of India)  
Western regional Committee

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART III SECTION 4

F.No.WRC/APP201660138/B.Sc.B.Ed./M.P./275<sup>th</sup>/2017/155107 Date: 4-5-17

**RECOGNITION ORDER**

WHEREAS, in terms of Section 15 (1) of the NCTE Act, 1993, GYAN VIHAR PUBLIC CHARITABLE TRUST VILLAGE: BHENSODAMANDI: BHANPURA, TOWN/CITY: BHENSODAMANDI, DISTRICT: MANDSAUR-458778, MADHYA PRADESH (WRCAPP201660138) has submitted on 08.06.2016 the application to the Western Regional Committee of the NCTE for grant of recognition/permission to GYAN VIHAR COLLEGE OF EDUCATION, VILLAGE: BHENSODAMANDI, STREET/ROAD: 11, TALUKA/MANDAL: BHANPURA, TOWN/CITY: BHENSODAMANDI, DISTRICT: MANDSAUR-458778, MADHYA PRADESH for B.Sc.B.Ed. 4 years integrated course.

AND WHEREAS, on scrutiny/perusal of the application submitted by the institution, the documents attached therewith, the affidavit, and the input received from the visiting team in the form of report and videography, recommendation of the State Government, the Committee in its 275<sup>th</sup> meeting held on May 1-2, 2017 is satisfied that the institution/society fulfills the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the B.Sc.B.Ed. integrated programme, such as, infrastructural and instructional facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 15 (3) (a) of the NCTE Act, 1993 and in accordance with the Regulations, 2014, the Western Regional Committee, NCTE hereby grants permission to GYAN VIHAR COLLEGE OF EDUCATION, VILLAGE: BHENSODAMANDI, STREET/ROAD: 11, TALUKA/MANDAL: BHANPURA, TOWN/CITY: BHENSODAMANDI, DISTRICT: MANDSAUR-458778, MADHYA PRADESH for conducting B.Sc.B.Ed. integrated programme of 4 (Four) years duration with an annual intake of 100 students (two basic units of 50 each) from the academic session 2017-18.

The institution shall gradually move towards becoming a composite institution as per clause 8(1) of the NCTE Regulations, 2014.

The institution shall comply with various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations as amended from time to time.

The institution shall make admissions only after it obtains affiliation from the examining body in term of clause 8(10) of the NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014.

The institution shall ensure that the required number of academic staff for conducting the course is always in position.

The recognition is subject to fulfillment of other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/Body, State Government etc. as applicable.

The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with annual statement of accounts duly audited by a Chartered Accountant.

The institution shall fill the GIS information on the NCTE website within one month from the date of this order.

  
Principal

Gyan Vihar College of Education  
Bhainsodamandi, Th. Bhanpura

Continued on next page

मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल-46200 Dist. Mandasaur (M.P.) 458778  
Manas Bhawan, Shyamla Hills, Bhopal-462002

दुरभाष/ Phone: 0755-2739672, 2660915, 2660379, 2660372 फेक्स/ Fax: 0755-2660912

Email: wrc@ncte-india.org Website : www.nctewrc.co.in

NCTE HQrs. Website : www.ncte-india.org

The institution shall maintain & update its web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display the following as mandatory disclosure:-

- a) Sanctioned programmes along with annual intake in the institution;
- b) Name of faculty and staff in full as mentioned in school certificate along with their qualifications and scale of pay and photograph;
- c) Name of faculty members who left or joined during the last, quarters;
- d) Name of Students admitted during the current session along with qualification, percentage, of marks in the qualifying examination and in the entrance test, if any, date of admission, etc;
- e) Fee charged from students;
- f) Available infrastructural facilities;
- g) Facilities added during the last quarter;
- h) Number of books in the library, journals subscribed to and additions, if any, in the last quarter;
- i) The affidavit with enclosure submitted along with application.
- j. The institution shall be free to post additional relevant information, if it so desires.
- k. Any false or incomplete information on website shall render the institution liable for withdrawal of recognition

If the institution contravenes the provision of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made and issued there under, the institution will render itself liable to adverse action including withdrawal of recognition by the Regional Committee under the provision of Section 17(1) of the NCTE Act, 1993.

By Order,

(Awadhesh Nayak)  
Regional Director

To,  
The Manager,  
Government of India Press,  
Department of Publications (Gazette Section),  
Civil Lines, Delhi - 110054.

Copy to:

1. The Secretary, GYAN VIHAR PUBLIC CHARITABLE TRUST VILLAGE: BHENSODAMANDAI: BHANPURA, TOWN/CITY: BHENSODAMANDI, DISTRICT: MANDSAUR -458778, MADHYA PRADESH.
2. The Principal/Correspondent, GYAN VIHAR COLLEGE OF EDUCATION, VILLAGE: BHENSODAMANDI, STREET/ROAD: 11, TALUKA/MANDAL: BHANPURA, TOWN/CITY: BHENSODAMANDI, DISTRICT: MANDSAUR-458778, MADHYA PRADESH.
3. The Registrar, Vikram University, Ujjain, Madhya Pradesh, with a request that the institution be granted affiliation only after the institution has updated its GIS information on the NCTE website.
4. The Commissioner, Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh, Satpura Bhawan, Bhopal- 462011, Madhya Pradesh with a request to update the list of recognized institutions as per recognition order issued by WRC, NCTE and copy endorsed to you
5. The Secretary, Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.
6. The Under Secretary (IDP Section), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing- II, 1, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi- 110002.
7. The Computer Programmer, IDP Section, WRC, NCTE, Bhopal with a request to include the name of the institution in the recognized list uploaded in WRC website.
8. Office Order file/Institution file- APP201660138/B.Sc.B.Ed.

Principal

Gyan Vihar College of Education  
Bhainsodamandi, Th. Bhanpura  
Dist. Mandasaur (M.P.) 458778

Regional Director